

संचालनालय कोष एवं लेखा  
मध्यप्रदेश-भोपाल

क्रमांक / समन्वय / सा.भ.नि. / 2015 / 30  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2-2-2015

- 1- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,  
कोष एवं लेखा,  
मध्यप्रदेश ।
- 2- समस्त कोषालय अधिकारी,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- सामान्य भविष्य निधि संधारण कार्य के प्रशासकीय नियंत्रण में परिवर्तन बाबत ।  
संदर्भ:- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म०प्र० ग्वालियर का पृष्ठा०पत्र क्रमांक /  
निधि-विविध / 730 दिनांक 21.01.2015

—00—

विषयांकित प्रकरण में कृपया कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म०प्र० ग्वालियर का पृष्ठा०पत्र क्रमांक / निधि-विविध / 730 दिनांक 21.01.2015 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन कीजिये। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) म०प्र० ग्वालियर द्वारा सामान्य भविष्य निधि के संधारण के संबंध में जारी आदेश आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि उक्त संशोधन से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत करावें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

अपर संचालक  
कोष एवं लेखा



कार्यालय महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) द्वितीय, लेखा भवन झाँसी रोड, ग्वालियर ( म.प्र. ) - 474 002  
Office of the Accountant General (A&E)-II Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior (M.P.) - 474 002

पत्र क्रमांक /

दिनांक .....

प्रति,

अपर मुख्य सचिव,  
वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन,  
वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

विषय- सामान्य भविष्य निधि संचालन कार्य के प्रशासकीय नियंत्रण में परिवर्तन बाबत ।

महोदय,

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्यप्रदेश, भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं (सा.भ.नि. खाता सीरीज SGS, SSCS, SES, CW, IRR, PHE & D/A) के संधारण एवं निष्पादन का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, वह कार्य तत्काल प्रभाव से महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्यप्रदेश, भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हस्तांतरित कर दिया गया है ।

अतः उपरोक्त विभागों का सामान्य भविष्य निधि से संबंधित समस्त पत्राचार महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, मध्यप्रदेश, भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल के नाम से किया जावे ।

कृपया इस संबंध में समस्त संबंधित विभागाध्यक्षों तथा आहरण एवं सवितरण अधिकारियों को अवगत कराने की व्यवस्था करें ।

भवदीया  
E 2-11


उप महालेखाकार (निधि)  
दिनांक 21-1-15

पृष्ठांकन क्रमांक/निधि-विधि/ 730

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया अपने अधीनस्थों को अवगत कराने की व्यवस्था करें ।

- (1) प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
- (2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
- (3) प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
- (4) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
- (5) प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
- (6) सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
- (7) आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल अपने स्तर से समस्त कोषालय अधिकारियों को अवगत करावें ।

अपर महालेखाकार  
28-1-2015



B Singh  
22/1/15  
उप महालेखाकार (निधि)